न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.44 / 2025 (GCMS No. 2025 / 147)	**प्रार्थना पत्र**	14.10.2025	24.02.2026

बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बून्दी
जरिये सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
बून्दी (राज0)

— प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1.मोडू पुत्र पाथ्या जाति बैरवा निवासी करवाला, तह. के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :—
1 / 1.चौथमल पुत्र मोडू जाति बैरवा, निवासी करवाला, तह.के.पाटन
1 / 2.कोकला पुत्री मोडू पत्नी प्रभु जाति बैरवा, निवासी करवाला, तहसील के.पाटन

1 / 3.नाथी पुत्री मोडू पत्नी छीत्तर जाति बैरवा, निवासी करवाला, तहसील के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :—
1 / 3(1) जीतराम पुत्र नाथी बाई जाति बैरवा, निवासी करवाला, तहसील के.पाटन
1 / 3(2) शिवराज पुत्र नाथी बाई जाति बैरवा, निवासी करवाला, तहसील के.पाटन
1 / 3(3) लाड बाई पुत्री नाथी बाई पत्नी राधेश्याम जाति बैरवा, निवासी करवाला, तहसील के.पाटन

2.ग्यारस्या पुत्र पाथ्या जाति बैरवा निवासी करवाला, तह. के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :—
2 / 1.सूरजमल पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा, नि. करवाला, तह.के.पाटन
2 / 2.बाबूलाल पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा, नि. करवाला, तह.के.पाटन
2 / 3.रामप्रसाद पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा, नि. करवाला, तह.के.पाटन
2 / 4.राधेश्याम पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा, नि. करवाला, तह.के.पाटन

कलक्टर, बून्दी

3.नारायण पुत्र पाथ्या जाति बैरवा निवासी करवाला, तह. के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–
3/1.भंवरलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा, नि. करवाला, तह.के.पाटन
3/2.शांती पुत्री नारायण पत्नी दुर्गालाल उर्फ रंगलाल जाति बैरवा हाल निवासी बलकासा, तहसील के.पाटन

4.प्रभु पुत्र पाथ्या जाति बैरवा निवासी करवाला, तह. के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–
4/1.गणेश पुत्र प्रभु जाति बैरवा, निवासी करवाला, तह.के.पाटन
4/2.धन्नी बाई पुत्री प्रभु पत्नी कस्तूरा जाति बैरवा, हाल निवासी जैथल, तहसील के.पाटन
4/3.मनभरी बाई पुत्री प्रभु पत्नी महावीर जाति बैरवा, हाल निवासी माधोराजपुरा, तहसील के.पाटन
4/4.सुगनाबाई पुत्री प्रभु पत्नी पप्पू उर्फ रामप्रसाद जाति बैरवा, हाल निवासी अर्जुनपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4/5.मांगीबाई पत्नी प्रभु जाति बैरवा, निवासी करवाला, तह.के.पाटन

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मृतक मोड्डू, प्रभू, ग्यारस्या, नारायण पि0 पांचू बैरवा द्वारा बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन अप्रार्थी की सम्पत्ति (कृषि भूमि) को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 99(3) के तहत बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 44/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/147 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी मोडू, प्रभू, ग्यारस्या, नारायण के फोत हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस आहूत किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुई, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 17.02.2026 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी मोडू, प्रभू, ग्यारस्या, नारायण पि0 पांचू जाति बैरवा निवासी करवाला, तहसील के.पाटन द्वारा सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी से ऋण लिया था। जिसे चुकता नहीं करने पर सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 305449 रू., ब्याज 250088 रू., दण्डनीय ब्याज 36503 रू., कुल राशि 592040 रू. एवं तत्पश्चात दिनांक 30.06.2018 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 307202 रू. जिसमें अवधि पार असल 307202 रू., ब्याज 358028 रू., दण्डनीय ब्याज 66283 रू., वसूली व्यय 20300 रू. सहित कुल राशि 751813 रू. की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। उक्त डिक्री की राशि की वसूली हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा बैंक में बन्धकित सम्पत्ति ग्राम करवाला, पटवार हल्का करवाला, तहसील के.पाटन जिला बून्दी में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 1820 रकबा 0.40 हैक्टेयर, ख.सं. 1824 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख.सं. 1827 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.सं. 1828 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख.सं. 1834 रकबा 0.13 हैक्टेयर, ख.सं. 1836 रकबा 0.61 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर पूर्ण भाग एवं खसरा सं. 486 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.सं. 496 रकबा 0.66 हैक्टेयर, ख.सं. 1763 रकबा 0.45 हैक्टेयर, ख.सं. 1764 रकबा 0.19 हैक्टेयर, ख.सं. 1766 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख.सं. 1770 रकबा 0.16 हैक्टेयर, ख.सं. 1771 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ख.सं. 1772 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ख.सं. 1773 रकबा 0.41 हैक्टेयर, किता 9 कुल रकबा 2. 10 हैक्टेयर पूर्ण भाग एवं ख.सं. 1758 रकबा 0.28 हैक्टेयर, ख.सं. 1774 रकबा 0.30 हैक्टेयर, ख.सं. 1829 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर पूर्ण भाग तथा खसरा सं. 511 रकबा 0.45 हैक्टेयर, ख.सं. 647 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.सं. 2010 रकबा 0.56 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 भाग को विक्रय करने की कार्यवाही की गई, किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी

की सिफारिश पर यह कार्यवाही पेश की गई है। अप्रार्थी की सम्पत्ति (कृषि भूमि) जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की उक्त सम्पत्ति (कृषि भूमि) को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 99(3) के तहत बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी मोडू, प्रभू, ग्यारस्या, नारायण पि0 पांचू कौम बैरवा, निवासी ग्राम करवाला, तहसील के. पाटन द्वारा सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी से ऋण लिया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी सहकारी बैंक की अवधिपार बकाया ऋण राशि जमा कराये जाने हेतु जारी नोटिस एवं तत्पश्चात जारी मांग नोटिस तामील हो जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवायी गयी है। इस कारण अप्रार्थी की प्रार्थी सहकारी बैंक में बन्धकित सम्पत्ति ग्राम सम्पत्ति ग्राम करवाला, पटवार हल्का करवाला, तहसील के.पाटन जिला बून्दी में स्थित आराजी नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 1820 रकबा 0.40 हैक्टेयर, ख.सं. 1824 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख.सं. 1827 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.सं. 1828 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख.सं. 1834 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, ख.सं. 1836 रकबा 0.61 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर पूर्ण भाग एवं खसरा संख्या 486 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.सं. 496 रकबा 0.66 हैक्टेयर, ख.सं. 1763 रकबा 0.45 हैक्टेयर, ख.सं. 1764 रकबा 0. 19 हैक्टेयर, ख.सं. 1766 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख.सं. 1770 रकबा 0.16 हैक्टेयर, ख.सं. 1771 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ख.सं. 1772 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ख.सं. 1773 रकबा 0.41 हैक्टेयर, किता 9 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर पूर्ण भाग एवं खसरा संख्या 1758 रकबा 0.28 हैक्टेयर, ख.सं.1774 रकबा 0.30 हैक्टेयर, ख.सं. 1829 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर पूर्ण भाग तथा खसरा संख्या 511 रकबा 0.45 हैक्टेयर, ख.सं. 647 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.सं. 2010 रकबा 0.56 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 भाग को बैंक द्वारा जरिये निलामी विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जाकर निलामी हेतु 06 बार तिथि निश्चित की गयी, किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बून्दी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अन्तरित करने हेतु प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30.06.2018 के निर्णय का दिनांक 10.08.2018 को अनुमोदन किया गया तथा प्रकरण नीलामी से नहीं बेची जा सकी प्रार्थी बैंक के रहन

जिला कलक्टर, बून्दी

भूमि को सहकारी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत बैंक के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त सहकारी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील विधिवत रूप से करवायी जाने पर भी अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय में पेश किया गया। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की विवेचना के आधार पर सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित बैंक के रहन दर्ज कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के नाम अन्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार के0पाटन को निर्णय की प्रमाणित प्रति आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)